

बिहार सरकार  
गृह विभाग  
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

राधा नन्दन प्रसाद  
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)  
बिहार, पटना

पटना, दिनांक मार्च, 2017

विषय :-

पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2010-11 के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के लिये स्वीकृत 73 अदद Solar Lighting 3.60 KVA का क्रय एवं अधिष्ठापन बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी, बिहार (BREDA) से करने हेतु कुल राशि ₹ 421.794 लाख (चार करोड़ इक्कीस लाख उनासी हजार चार सौ रू0) मात्र (सभी कर सहित) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना का पत्रांक 800/आपूर्ति, दिनांक 20.01.2017 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में पुलिस आधुनिकीकरण योजना 2010-11 के अंतर्गत नक्सल प्रभावित जिलों के लिये स्वीकृत 73 अदद Solar Lighting 3.60 KVA का क्रय एवं अधिष्ठापन बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी, बिहार (BREDA) से करने हेतु कुल राशि ₹ 421.794 लाख (चार करोड़ इक्कीस लाख उनासी हजार चार सौ रू0) मात्र (सभी कर सहित) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561, दिनांक 17.04.98 की कंडिका-15 में निहित प्रावधान के अनुसार 73 अदद Solar Lighting 3.60 KVA का क्रय एवं अधिष्ठापन बिहार रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी, बिहार (BREDA) से हेतु कुल राशि ₹ 421.794 लाख (चार करोड़ इक्कीस लाख उनासी हजार चार सौ रू0) मात्र (सभी कर सहित) की अग्रिम निकासी की स्वीकृति इस शर्त पर दी जाती है कि उक्त सामग्री की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन अग्रिम भुगतान के पश्चात् प्राप्त कर करा ली जाय तथा स्वीकृत अग्रिम राशि को किसी हालत में बैंक खाते में जमा नहीं किया जाय और इसे एक माह के अंदर ही व्यय कर लिया जाय।

3. उपर्युक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर योजना की मांग सं0-22, बजट शीर्ष-2055-पुलिस, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-115-पुलिस बल का आधुनिकीकरण उपशीर्ष-0001-पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार के समतुल्य राशि, विषय शीर्ष- 52 01-मशीनें एवं उपस्कर तथ विपत्र कोड N2055001150001 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

राधा  
27/03

6. निकासी की गई अग्रिम राशि को किसी भी हालत में बैंक खाता में नहीं रखा जायेगा और एक माह की अवधि में उसका व्यय अवश्य कर लिया जायेगा। अनावश्यक रूप से निकासी कर उसे बेकार नहीं रखा जायेगा। अग्रिम राशि के विरुद्ध आवश्यकतानुसार बैंक गारन्टी अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी ताकि राशि सुरक्षित रहे। राशि व्यय होने के उपरांत शीघ्र नियमानुसार डी0सी0 विपत्र समर्पित कर दिया जायेगा।
7. बिहार कोषागार संहिता, 2011 का विहित विपत्र पर राशि की निकासी की जायेगी।
8. निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात को संलग्न किया जायेगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिये जाने वाले प्रमाण-पत्र का उल्लेख अवश्य करेंगे।
10. डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण-पत्र 3 माह के अंदर समर्पित किया जायेगा।
11. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जायेगा।
12. उपर्युक्त में मुख्य (गृह) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/-

(राधा नन्दन प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक-6/आधु0-01-05/2016गृ0आ0.....<sup>2567</sup>.....पटना, दिनांक 27 मार्च, 2017  
प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेशक (आधुनिकीकरण), बिहार, पटना/पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण), बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<sup>राधा</sup>  
27/03/17  
सरकार के अवर सचिव  
दिनेश